



**CONSPIRACY TO INTIMIDATE
MUSLIMS, GRAB THEIR PROPERTY
AND COMMUNAL POLARIZATION OF
UPCOMING LOCAL BODY ELECTIONS.**

Fact finding report of
Communal voilences
in Kutch, Gujarat.

9th February 2021, 3pm

Ahmedabad, Bhuj (Kutch)



Minority Coordination
Committee (MCC) Gujarat

9328416230

मुसलमानों को डराने, उनकी संपत्ति हड़पने और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों का सांप्रदायिक धुवीकरण करने की साजिश।

गुजरात के कच्छ ज़िले में गांधीधाम तालुका के किड़ाना और मुँदरा तालुका के साड़ाव गाँव में राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा करने के लिए निकाली गयी यात्रा के दौरान हुई हिंसा की तथ्य अन्वेषी (फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग) रिपोर्ट

कच्छ ज़िले में गांधीधाम तालुका के किड़ाना गाँव में चंदा यात्रा के समय हुई हिंसा की रिपोर्ट

कच्छ ज़िले में गांधीधाम तालुका के किड़ाना ता 17-1-21 के दिन शाम के लगभग 6 बजे राम मंदिर के नाम पर चंदा यात्रा में लाठी- डंडे, त्रिशूल और भाला के साथ लगभग 30 बाइक और ट्रैक्टर की ट्रॉली में पत्थर के साथ यात्रा गाँव के मुस्लिम इलाके में आई, इस यात्रा लगभग 300 लोग थे जो ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे कि “ हर एक हिंदुस्तानी बोलेगा जय श्री राम” बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे राम मंदिर बनाएँगे” जैसे आपत्तिजनक और उकसाने वाले नारे लगा रहे थे। ये यात्रा जब गाँव की मस्जिद के पास पहुंची तो नारे और भी ज़्यादा तेज और इशारों के साथ लगाने लगे साथ ही मुस्लिम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोल रहे थे। मुस्लिम समुदाय के एक भाई ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि हम लोग सालों से यहां पर भाईचारे के साथ रह रहे हैं आप ऐसा बोलें यह बिल्कुल ठीक नहीं मगर भीड़ इस बात को बिना सुने बिना समझे आगे बढ़ती रही और मुस्लिम विस्तार पर ट्रैक्टर की ट्रॉली में जो पत्थर थे उनको फेंकने की शुरुआत कर दी, जिससे इस इलाके में रहने वाले लोग घबराकर बाहर आकर भीड़ में मौजूद लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे, और पुलिस से भी उन्होंने इस बात के लिए अनुरोध किया कि वह इस भीड़ को काबू में रखें मगर यात्रा के 300 लोगों की भीड़ और उसके सामने पुलिस के व्यवस्था बनाने के लिए सिर्फ 7 जवान इस भीड़ को काबू में नहीं ले सके, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों और उनके परिवार के द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी फोन से दी जिसके बाद एसपी घटनास्थल पर आए और उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों को समझाया पुलिस के समझाने के बाद यात्रा में आए हुए लोग वापस जाने के लिए मुड़े मगर जहां पर मुस्लिम इलाका खत्म होता है उसके के आखिरी मकान जो की इकबाल वकील का है और उनके आसपास के तीन दूसरे मकानों पर भी इस भीड़ ने हमला करके आगजनी करने की कोशिश की और घर के बाहर खड़े हुए वाहनो को भी तोड़फोड़ की, इस बात की खबर जैसे ही इलाके के दूसरे लोगों को लगी वह लोग मदद के लिए बाहर निकले लेकिन वहाँ मौजूद पुलिस ने उन लोगों को रोकने के लिए उन पर आँसू गैस के गोले छोड़े, दूसरी तरफ मुस्लिम इलाके में आने-जाने के रास्ते पर लगभग 3000 के आसपास की भीड़ रास्ता रोके खड़ी थी इसमें सिर्फ गांव के लोग नहीं थे बाहर के लोग भी शामिल थे। इस भीड़ द्वारा पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की। यह भीड़ के लोग लगातार रोड पर खड़े होकर लोगों को पहचान कर मारपीट करने का काम कर रहे थे उसी समय एक रिक्शा चालक नूर मोहम्मद रिक्शा लेकर आये, नूर मोहम्मद के ऊपर त्रिशूल से हमला किया गया जिससे उनके गले में काफी चोट आई और वह जान बचाकर वहां से भागे मगर उनकी ऑटो रिक्शा में बैठे हुए झारखंड के मजदूर अर्जुन जिसके दाढ़ी थी भीड़ ने उसको मुस्लिम समझकर घेरा और उसको जान से मार दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुस्लिम समाज समाज के नेता हाजी जुम्मा रायमा गांव आए उस वक्त भीड़ ने उनकी गाड़ी पर भी हमला किया जिसके बाद पुलिस

ने इस भीड़ को हटाने के लिए फिरसे आँसू गैस के गोले छोड़े जिसके बाद यह भीड़ वहां से गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटना से पहले गांव की अहिर समाज वाडी के पास दोपहर के 4:00 बजे के लगभग बाहर के गांव के लोग इकट्ठा होने लगे थे और मुस्लिम विस्तार में लगभग 6:00 बजे यह घटना घटित हुई। 15 मिनट में ही बाहर के गांव के लोग यहां पर आ गए यह बताता है कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसका मकसद शांतिप्रिय गांव में सांप्रदायिक संघर्ष को करना और जानबूझकर मुस्लिमों को डरा कर उनको गांव से बाहर निकालने की साजिश करना था।

शाम की इस घटना के बाद इस यात्रा में शामिल असामाजिक तत्व आगे के गांव अंतरजाड में गए जहां की मस्जिद और दरगाह में तोड़फोड़ की ओर यहाँ कि मस्जिद की छत पर लगे हुए पंखे को भी लटक लटक कर तोड़ा गया दरगाह की चादर को भी आग लगाई गई इस पूरी घटना में मुस्लिम समुदाय के घरों को जलाया गया, तोड़फोड़ की गयी, झारखंड के प्रवासी मजदूर अर्जुन को मुसलमान समझकर जान से मार डाला गया ओर मस्जिद और दरगाह को नुकसान पहुंचाया गया। बहुत सारे मुसलमान घायल हुए इसके बावजूद मुसलमानों पर FIR की गई जिसमें 30 मुस्लिम लोगों को पकड़ा भी गया वहीं 3000 की भीड़ में से सिर्फ 13 लोगों को ही पकड़ा गया, ओर अर्जुन की हत्या के मामले में 302 की धारा भी अभी तक नहीं लगाई गई।

यह यात्रा जानबूझकर मुस्लिम इलाकों से निकालने के पीछे सांप्रदायिक दंगा कराने का षड्यंत्र और मुसलमानों को की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बद इरादा साफ नज़र आ रहा है।

इस घटना से पूर्व 26 जनवरी 2020 को इसी गांव में एक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई थी इस यात्रा में लोग तिरंगे की जगह भगवे रंग का ध्वज लेकर आपत्तिजनक नारे लगाते हुए पूरे गांव और आसपास घूम रहे थे जिस वक्त भी दो समुदायों के बीच कहासुनी हुई थी। इससे स्पष्ट है कि इस सांप्रदायिक हिंसा के पीछे एक बड़ी पूर्व नियोजित साजिश थी।

कच्छ जिले के मुंद्रा तालुका के साड़ाव गांव में चंदा यात्रा के समय हुई हिंसा की रिपोर्ट

17 जनवरी 2021 के दिन लगभग 4:30 बजे 15 से 20 बाइक सवार गांव में एक साथ आते हैं यह लोग पूरे गांव के चक्कर लगाकर गुंदाला रोड पर वापस लौटते वक्त लोगों के साथ झगड़ा भी करते हैं, इसके बाद लगभग 6:00 बजे लगभग 400 जितने लोग गाड़ी और बाइक के भीड़ के साथ आते हैं उस समय मगरिब की नमाज (शाम की नमाज़) का वक्त था मगर यह भीड़ लगभग डेढ़ घंटे तक एक ही रोड पर जिस पर मस्जिद है वहां पर जोर जोर से डीजे बजा रहे थी और सांप्रदायिक नारे लगा रहे थी, ग्राम वासियों ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की इतने छोटे गांव में इतने ज्यादा लोग व मुस्लिम विस्तार में मस्जिद के पास डीजे बजाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भीड़ समझने को तैयार नहीं थी इतना सब होने के बाद भी मुस्लिम लोग शांत रहे ओर परमिशन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको मामलतदार की परमिशन है। भीड़ में आए हुए कुछ लोग मुस्लिमों के घरों में घुसने की कोशिश करने लगे और वहां पर गलियों में बैठे हुए छोटे बच्चों को भी आपत्तिजनक बातें करके उनको परेशान करने लगे यह सब देख कर ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर समुदाय को भड़काने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ ऐसा शुरू हो जिससे मुसलमानों के संपत्ति जो मेन रोड और इसके आसपास

है उनको तोड़फोड़ और तहस-नहस किया जा सके। इस पूरी घटना के समय पुलिस वहां भी मौजूद थी लेकिन पुलिस मूकदर्शक की तरह खड़ी हुई उनकी यह सारी हरकतें देख रही थी वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि इनके ऊपर कोई ऊपर से आदेश है कि भीड़ को गुंडागर्दी करने देने की छूट दी जाए।

यह दोनों घटनाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह दोनों घटनाएं एक सुनियोजित संगठित अपराध के आयोजन के साथ जिसका मुख्य मकसद दंगे करवाना राज्य की शांति सलामती को भंग करना, मुसलमानों की जान लेना जैसे गंभीर कृत्य करना उनकी संपत्ति पर कब्जा करना राज्य के मुसलमानों को डराने और उनको छोटे-छोटे गांव जहां पर कम लोग रहते हैं उन जगहों से धकेल कर किसी एक छोटी सी जगह में भेज देना यह एक साजिश का हिस्सा है। इन दोनों घटनाओं में पहले लोग बाइकों से रेकी करते हैं उसके बाद बड़ी भीड़ के साथ मुस्लिम विस्तारों में घुसते हैं जानबूझकर वहां पर मौजूद लोगों को परेशान करते हैं, इस साजिश में ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस और प्रशासन भी भीड़ के साथ हैं।

तथ्य अन्वेषी दल (फैक्ट फ़ाइंडिंग टीम) का मत

जनवरी 2021 में कच्छ ज़िले में हुई साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए एक चार सदस्यीय स्वतंत्र तथ्यान्वेषी दल ने इन इलाकों का दौरा किया। लोगों के संयम और सूझबूझ के चलते हिंसा की घटनाएं ज्यादा फैली नहीं लेकिन दल के सदस्यों ने ये महसूस किया कि इन घटनाओं ने हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायों के बीच वैमनस्यता को गाढ़ा किया है। अगर साम्प्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम नहीं होगा तो गुजरात के लोगों की जीवन सुरक्षा और विकास व समृद्धि की संभावनाओं पर खतरे के बादल गहराते जाएंगे।

25 से 27 जनवरी 2021 को प्रभावित इलाकों का दौरा करके और अनेक लोगों से बात करके इस जांच दल ने ये पाया कि अलग-अलग दिखने वाली इन घटनाओं में कुछ समानताएं भी हैं और इनका स्वरूप एक विशेष प्रकार से एक-दूसरे से मिलता है। किड़ाना तालुका गांधीधाम में बहुसंख्यक समुदाय की भीड़ ने जानबूझकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को चुनकर वहां से रैली-जुलूस निकाले और अपमानजनक नारे आदि लगाए।

इन घटनाओं में अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की अपील का बहाना लेकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से रैलियां निकाली गईं। मुस्लिमों को इस हद तक उकसाया गया कि उनकी ओर से कुछ न कुछ प्रतिक्रिया हो जिसका बहाना लेकर पुलिस और प्रशासन की मदद से मुस्लिमों को फ़र्जी मामलों में फंसाया जा सके। एक ओर इससे मुस्लिम समाज में दहशत पैदा करने की कोशिश की गई दूसरी ओर मीडिया के माध्यम से मुस्लिमों को ही पत्थरबाज साबित किया गया, उन्हें ही जेलों में ठूँसा गया, उनके ही घर तोड़े गए। पीड़ितों ने यह भी बताया कि ऐसी साम्प्रदायिक घटनाएं चुनाव आने के साथ ज्यादा बढ़ जाती हैं। याद रहे है कि गुजरात में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं।

जांच दल के सदस्यों का यह मानना है कि सत्ता पक्ष से जुड़े और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के बयान साफ तौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने वाले समूहों को हौसला देते हैं। सरकार के दबाव के कारण ही पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था आने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में पूरी तरह नाकाम हो रही है।

सभी मामलों में यह भी देखने में आया कि पुलिस ने हड़दंगियों पर कार्रवाई नहीं की और पीड़ित लोगों में से अधिकांश की रिपोर्ट भी नहीं लिखी गयी। दल के सदस्यों ने महसूस किया कि राज्य प्रायोजित व संरक्षित इस बहुसंख्यक साम्प्रदायिक हिंसा के सामने पुलिस की मशीनरी बहुत दबाव में हैं।

सरकार और प्रशासन से (फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग टीम) की मांगें निम्न हैं

- 1- चंदा इकट्ठा करने हेतु निकाली जा रही हथियारबंद लोगों की रैलियों को बन्द किया जाए।
- 2- जहां यात्रा हो वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की जाए।
- 3- पुलिस निष्पक्ष है के लिए पूरे कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए।
- 4- इन घटनाओं में गिरफ्तार किए गए बेगुनाहों को छोड़कर असल दोषियों को गिरफ्तार किया जाए।
- 5- जिन लोगों के मकान या दूसरी सम्पत्तियाँ तोड़ी या लूटी गई हैं उन्हें अविलंब उचित मुआवजा दिया जाये।
- 6- मस्जिद और दरगाह को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अविलंब उचित मुआवजा दिया जाये।
- 7- इस घटना में मृत्यु पाने वाले, में घायल व्यक्तियों के परिवार को अविलंब उचित मुआवजा दिया जाये।
- 8- जहां पर पुलिस लापरवाही आय संलिप्तता पायी जाए तो उस अधिकारी, कर्मचारी को तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाए उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए।
- 9- भीड़ की तरफ से उकसाने वाले नारे और इशारे करने वालों पर यूएपीए (UAPA) कानून के तहत कार्यवाही की जाए।
- 10- ऐसी यात्राओं को मुस्लिम एरिया से निकलने की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए और अगर कोई ऐसा रास्ता है जिससे जाना बहुत जरूरी है तो वहां पर दोनों समुदायों के लोगों के साथ बैठक करके आगे की कार्यवाही और मंजूरी की कार्रवाई की जाए।
- 11- इन यात्राओं को धार्मिक स्थलों के पास से गुजरते समय डीजे, हो हल्ला करने वाले माध्यमों और नारेबाजी को प्रतिबंधित किया जाए।
- 12- इन यात्राओं में ट्रैक्टर ट्रॉली और उसके अंदर पत्थर, लाठी, डंडा, त्रिशूल, हॉकी, बेसबॉल का बैट इन चीजों को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा जाए और यह ना मानने पर आयोजक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए।
- 13- ऐसी यात्राओं में 50% महिलाओं का होना अनिवार्य किया जाए जिससे भीड़ में अश्लील गुंडे, असामाजिक तत्व काबू में रहे कोई भी अवांछित घटना ना घटे।

- 14- इन इलाकों में शांति सौहार्द, कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए आपसी मेल-मिलाप के सामूहिक सदभाव के कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ।
- 15- सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु एक पॉलिसी बनाई जाए।

फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग टीम में मुजाहिद नफ़ीस (कविनर, माइनोरिटी कोआर्डिनेशन कमिटी (MCC), गुजरात), उस्मान गनी शेरसिया (सामाजिक कार्यकर्ता), इब्राहिम तुर्क (सामाजिक कार्यकर्ता), मोहम्मद लाखा (सामाजिक कार्यकर्ता) शामिल थे।

